पत्रांक–भवन / IT Cell–01 / 2026................/ 1804 (अ०)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नन्दन सिन्हा,
संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अभियंता प्रमुख (विद्युत सहित) /
सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /
अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03 एवं 04
आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक– 20/2/26

विषय :– भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–मिशन निदेशक, पटना का पत्रांक–1624, दिनांक–25.07.2025 एवं विभागीय पत्रांक–918(भ), दि0–28.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ करे। विदित हो कि मिशन सासाइटी के पत्रांक–3928 दि0–05.10.2023 के द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के द्वितीय चरण में पाँच Modules को Portal पर राज्य कर्मियों एवं कार्यालयों के उपयोग के लिये लागू किया जा चुका है, जिसे शत्–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव के द्वारा भी निदेश दिया जा चुका है। इन पाँच Modules में Leave Management Modules अति–महत्त्वपूर्ण है। परन्तु इसका उपयोग बहुत कम कार्यालयों / राज्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसका उपयोग दृढ़ता से किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पत्रांक–918(भ), दि0–28.01.2026 द्वारा निदेश दिया जा चुका है।

अतः निदेशानुसार भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20.02.26

(अवधेश नन्दन सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/MADHUMITA.RAJ.STHAPANA/Prabhu SIR/Letters/p.draft

पत्रांक–भवन / IT Cell–01 / 2026........918 (अ)न्यु....../ 03

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अवधेश नन्दन सिन्हा,
संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अभियंता प्रमुख (विद्युत सहित) /
सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) /
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /
अवर सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03 एवं 04
आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक– 28/1/26

विषय :– **भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–मिशन निदेशक, पटना का पत्रांक–1624, दिनांक–25.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ करे। विदित हो कि मिशन सासाइटी के पत्रांक–3928 दि0–05.10.2023 के द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के द्वितीय चरण में पाँच Modules को Portal पर राज्य कर्मियों एवं कार्यालयों के उपयोग के लिये लागू किया जा चुका है, जिसे शत्–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव के द्वारा भी निदेश दिया जा चुका है। इन पाँच Modules में Leave Management Modules अति–महत्त्वपूर्ण है। परन्तु इसका उपयोग बहुत कम कार्यालयों / राज्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसका उपयोग दृढ़ता से किया जाना है।

अतः निदेशानुसार भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के अन्तर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27.01.26

(अवधेश नन्दन सिन्हा)
संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (HRMS),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

01

पत्रांक—बि०प्र०सु०मि०सो० / HRMS-03/2022, सो०—1524

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

28 JUL 2025
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ॰ बी. राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग—सह—
मिशन निदेशक।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

पटना, दिनांक—25/07/2025

विषयः— मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत लागू Leave Module को राज्य के सभी कर्मियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः— मिशन सोसाइटी का पत्रांक—3928, दिनांक—05.10.2023 एवं मुख्य सचिव बिहार का पत्रांक—1702 दिनांक—25.09.2024 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मिशन सोसाइटी के पत्रांक—3928 दिनांक—05.10.2023 के द्वारा HRMS परियोजना के द्वितीय चरन में पाँच मोड्यूल्स को पोर्टल पर राज्य कर्मियों एवं कार्यालयों के उपयोग के लिए लागू किया गया था, जिसे शत—प्रतिशत उपयोग हेतु मुख्य सचिव के प्रासंगिक पत्र से आच्छादित करने का निदेश दिया गया था। इन पाँच मोड्यूल्स में Leave Management Module अति महत्वपूर्ण है। किन्तु इसका उपयोग बहुत कम कार्यालयों / राज्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। उपयोग नहीं होने का मुख्य कारण कार्यालयों द्वारा राज्य कर्मियों का सभी प्रकार के अवकाश अवशेष को अद्यतन नहीं किया जाना है। इस समस्या से निजात के लिए पोर्टल पर निम्न प्रावधान किया गया हैः—

1. राज्य के सभी नियमित कर्मियों द्वारा अवकाश अद्यतीकरण के बिना भी Employee Self Service Part A पोर्टल से सभी प्रकार के अवकाश आवेदन अपने लॉगिन से करने का प्रावधान लागू कर दिया गया है।
2. छुट्टी अभ्यावेदन स्वीकृति प्राधिकार / Office Admin का दायित्व होगा कि पोर्टल के अपने लॉगिन में राज्य कर्मी से प्राप्त आवेदन स्थापना HR Maker को प्रेषित कर छुट्टी प्रारम्भ होने के पूर्व की तिथि तक का उक्त कर्मी का आवेदित अवकाश का अवशेष अद्यतन कराकर HR Approver से अनुमोदित करा दें।
3. आवेदित अवकाश का अवशेष अद्यतीकरण के बाद ही इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा पोर्टल पर अनुमोदित किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदन के बिना आवेदित अवकाश की वापसी अथवा रद्दीकरण (Cancelation) अनुमान्य नहीं होगा।
5. किसी भी प्रकार के अवकाश को कार्यालय द्वारा अद्यतन करने के पश्चात उक्त अवकाश स्वतः आगे भी अद्यतन हो जायेगा।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस नयी व्यवस्था से अवगत कराते हुए HRMS पोर्टल के Leave Management Module के माध्यम से ही राज्य के सभी नियमित कर्मियों के सभी प्रकार के छुट्टी के लिए आवेदन स्वीकार करने एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत कराने का निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(डॉ॰ बी. राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग—सह—
मिशन निदेशक।

संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना।

भवन निर्माण विभाग का प्रकोष्ठ
प्राप्ति की तिथि
संख्या
बिहार, पटना